न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
17 / 2024	12 / 03 / 2024	07 / 05 / 2025

केदारलाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1–तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2–कंचनबाई पुत्री किशना पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा हाल निवास पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट. सपठित धारा 135 एल आर. एक्ट.

निर्णय दिनांकः–07/05/25

संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी कम 2 की सयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में खाता संख्या 25 की खसरा नम्बर 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर नहरी दोयम मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज थी। प्रतिवादी कम 2 वादी की सगी बहिन है उसने उपरोक्त आराजी मे से अपने हिस्से की 1/2 सम्पूर्ण आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में दिनांक 26.9.2019 को कर दिया था, उपरोक्त आराजी एस.बी.बी.जे शाखा इटावा के रहन दर्ज होने सें वादी के पक्ष में हकत्याग पत्र का नामान्तकरण अमल मे नही आया इसी दौरान केचमेन्ट की कार्यवाही हो गई केचमेन्ट के बाद उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बर 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.67 हैक्टर–जरिये नामान्तकरण संख्या 1448 सें पैमूद किये गये। नामान्तकरण की नकल सलग्न है। आगे वाद पत्र में उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त भूमि कहा गया है। यह कि वादी ने बैंक का ऋण जमा करवा दिया और बैंक का रहन प्रभार इंतकाल नम्बर 1706 दिनांक 22.3.2022 से हटा दिया गया वादी विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। जिसका उपयोग एवं उपभोग लगातार करता आ रहा है प्रतिवादी कम 2 का विवादग्रस्त आराजी पर किसी भी भूभाग पर कब्जा काश्त नही है। यह कि दिनांक 19.2.2024 को वादी नें विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 से निवेदन किया कि रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से प्रतिवादी कम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करे आपनें बैंक का भी रहन हटा दिया है इस पर प्रतिवादी कम 1 ने कहा कि रिलिज डीड व जमाबंदी में वर्णित खसरा नम्बर का मिलान नहीं हो रहा है। इसलिये विवादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम दर्ज नहीं करूंगा अदालत में कार्यवाही करो। उसी दिन वादी नें प्रतिवादी कम 2 से भी कहा कि तुमने भी विवादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से का रजिस्टर्ड हकत्याग वादी के पक्ष मे कर दिया है अदालत में चलकर अपना नाम हटाओ तों प्रतिवादी तथा उसके वारिसान ने वादी को धमकी दी कि कोई नाम नही हटायेगे ओर हम हमारे हिस्से की भूमि पर फसल काश्त करेगे। ओर अभी की फसल को भी हक ही काटेगे। वादी को काश्त नहीं करने देगे तथा विवादित आराजी मे हमारे हिस्से की भूमि को रहन, बैचान करेगे। यह कि वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादी वाद

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

पत्र मे वर्णित विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करावे एवं प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी में वादी के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से रोके इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 19.2.2024 कों प्रतिवादी कम 1 द्वारा विवादित सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम दर्ज करने से मना करने तथा प्रतिवादी कम 2 व उसकें वारिसान द्वारा विवादित आराजी पर से वादी कों बेदखल करने व फसल नष्ट करने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। यह कि प्रतिवादी कम 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। जिनके विरूद्व वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया ओर उक्त अवधि का इंतजार किया गया तों प्रतिवादी कम 2 के वारिस वादी कों विवादित आराजी से बेदखल कर देगे जिस कारण वादी का वाद करना ही बेकार हो जायेगा। इस कारण वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद धारा 80–2 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत मय शपथ पत्र प्रस्तुत है

1–यह कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की कृषि आराजी खाता संख्या 25 की खसरा नम्बर 386/1 रकबा 0.70 है. जिसके केचमेन्ट के बाद नया खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.67 है. पैमूद किये गये है। उक्त आराजी पर सें प्रतिवादी कम 2 का नाम खाते से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे ।

2–यह कि प्रतिवादी कम 2 व उसकें प्रतिनिधियो कों स्थायी निषेधाज्ञा सें निषेधित किया जावें कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे ।

3–यह कि दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 विवादग्रस्त आराजी को विक्रय कर देवे तो उस हस्तानान्तरण को वादी के अधिकारो के समक्ष बेअसर घोषित किया जावे ।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वादी दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 की ओर से सरकार पैरोकार उप0 है। प्रतिवादीकम 2 स्वयं उप0 होकर जवाब दावा व राजीनामा पेश किया।

<u>जवाब दावाः–</u>

प्रतिवादी कम 2 वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र का निम्न जवाब प्रस्तुत करती हैः–

1– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में कर दिया था। लेकिन केचमेंन्ट हो जाने के कारण विवादित आराजी का खसरा संख्या 386/1 के स्थान पर 1128 व रकबा 0.70 हैक्टर के स्थान पर 0.67 हैक्टर नामान्तरण संख्या 1448 से पेमुद हो गया।

2– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 स्वीकार है।

3– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 3 में जो तथ्य अंकित किये गये है वह स्वीकार है।

4– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 4 स्वीकार है।

5– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 5 स्वीकार है।

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

6— यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 6,7,8 कानूनी होने से श्रीमान के विचारणीय है। प्रार्थना वादीगण स्वीकार है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 25 खसरा न० 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचनेंन्ट के बाद खसरा न0 1128 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये है उक्त आराजी पर से मुझ प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

राजीनामाः—

1— यह कि प्रतिवादीक्रम 2 द्वारा विवादित आराजी का हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में कर दिया था। लेकिन केचर्मेन्ट हो जाने के कारण विवादित आराजी का खसरा संख्या 386/1 रकबा 0.70 है0 के स्थान पर खसरा न० 1128 रकबा 0.67 हैक्टर नामान्तरण संख्या 1448 से पेमुद हो गया इस कारण वादी के नाम हक त्याग पत्र का नामान्तरण नहीं खुल पाया। वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नही है दोनो के मध्य राजीनामा हो गया है।

2— यह कि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 25 खसरा न० 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचर्मेन्ट के बाद खसरा न० 1128 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये है उक्त आराजी पर से प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

वकील पक्षकारान उप0 है। वादी व प्रतिवादी स्वयं उप0 हुए। वकील वादी की बहस के तथ्यों, जवाब व राजीनामा का अवलोकन मनन किया गया। अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीक्रम 1 को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 25 खसरा न० 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचर्मेन्ट के बाद खसरा न० 1128 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये है उक्त आराजी पर से प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

Ramniwas

सहायक कलेक्टर

इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर इटावा जि० कोटा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	**तारीख दायरा**	**तारीख फैसला**
17 / 2024	**12 / 03 / 2024**	**07 / 05 / 2025**

केदारलाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1–तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

2–कंचनबाई पुत्री किशना पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा हाल निवास पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट. सपठित धारा 135 एल आर. एक्ट.

निर्णय दिनांकः–07/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 25 खसरा न० 386/1 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचर्मेन्ट के बाद खसरा न० 1128 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये है उक्त आराजी पर से प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07/05/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		

Ramniwas

सहायक कलक्टर

इटावा जि० कोटा (राज०)

बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)